

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान

(सम विश्वविद्यालय एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान)
प्लॉट नं. 97, सेक्टर-56, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक -क्षेत्र, कुंडली, जिला - सोनीपत हरियाणा-131028
फोन 130-2281020, website : www.niftem.ac.in

अग्रिम यात्रा अनुरोध फॉर्म

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. अधिकारी का नाम : | 2. पदनाम |
| 3. किस बैंड में कितना वेतन : | 4. विभाग |
| 5. ग्रेड वेतन : | 6. यात्रा का उद्देश्य |
| 7. के द्वारा अनुमोदित का यात्रा : | |

क. अग्रिम यात्रा के लिए

प्रस्थान का स्थान	दिनांक एवं समय	आगमन का स्थान	दिनांक एवं समय	यात्रा का माध्यम	आवश्यक अग्रिम(रु.)	टिप्पणी
कुल (क)						

ख. ठहरने के लिए अग्रिम

ठहरने का स्थान	दिनांक		आवश्यक अग्रिम (रु.)	टिप्पणी
	से	तक		
कुल (ख)				

ग. स्थानीय परिवहन के लिए अग्रिम

दिनांक	से	तक	यात्रा का माध्यम	कितने कि.मी.	आवश्यक अग्रिम (रु.)	टिप्पणी
कुल (ग)						

घ. दैनिक भत्ते के लिए अग्रिम

स्थान	दिनांक		आवश्यक अग्रिम	टिप्पणी
	से	तक		

अन्य यदि कोई

आवश्यक अग्रिम की कुल राशि : रुपये

(कार्यालय अधिकारी के हस्ताक्षर)

यात्रा भत्ते के संबंध में दावा प्रस्तुत करने के लिए जाँच सूची

1. दावेदार द्वारा यात्रा भत्ते के सभी संबंधित कॉलम को भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
2. आगामी यात्रा और वापसी यात्रा के लिए बोर्डिंग पास के साथ मूल ट्रेन टिकट/वायुयान टिकट संलग्न किए जाने चाहिए।
3. ऑनलाइन माध्यम से बुक किए गए ट्रेन टिकट प्रतीक्षा सूची का सीट नं./कोच नं. के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. दावेदार द्वारा प्रस्तुत स्थानीय यात्रा के लिए टैक्सी/स्वयं की कार का दावा (राष्ट्रीय) निर्दिष्ट नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
5. हवाई यात्रा एयर इंडिया के हवाई टिकट पर इकॉनोमी श्रेणी में की जानी चाहिए। यदि यात्रा किसी अन्य एयरलाइन द्वारा की जाती है, तो प्रतिपूर्ति के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में नागर विमानन मंत्रालय से इसके द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।
6. सम्पूर्ण दावा मूल बिल/प्राप्तकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत यात्रा/दौरा रिपोर्ट को दौरे दावे फॉर्म के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिसके बिना दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. यात्रा के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर दावे का निपटारा किया जाना चाहिए, ऐसा न किए जाने पर नियमों के अनुसार ब्याज लिया जाएगा।